भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2460
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 18 दिसंबर, 2023
27 अग्रहायण, 1945 (शक)

भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

2460. **श्री अजय कुमार मंडल:**
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में विशेषकर जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले, बिहार के सीतामढ़ी और भागलपुर जिलों, पश्चिम बंगाल के हुगली, महाराष्ट्र के अमरावती और हरियाणा के सोनीपत में स्थित प्राचीन विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान जम्मू , सीतामढ़ी, भागलपुर, हुगली, अमरावती और सोनीपत जिलों सहित देशभर में भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय संस्कृति के संवर्धन और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जम्मू, सीतामढ़ी, अमरावती, सोनीपत और भागलपुर जिलों सहित जम्मू और कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त विरासत स्थलों के रख-रखाव और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित और खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 3697 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष हैं। जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) के जम्मू जिले, बिहार के भागलपुर जिले, पश्चिम बंगाल में हुगली, महाराष्ट्र में अमरावती

और हरियाणा में सोनीपत सहित प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का ब्यौरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट https://asi.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख): पूरे देश में जम्मू, सीतामढ़ी, भागलपुर, हुगली, अमरावती और सोनीपत जिलों में स्थित केंद्रीय संरक्षित प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। स्मारकों में आने वाले पर्यटकों के लिए पेयजल, शौचालय ब्लॉक, दिव्यांगनों के लिए सुविधाएं, पगडंडियां, सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड, संकेतक, पार्किंग, क्लॉक रूम आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नियमित कार्यकलाप हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता, प्राथमिकता और संसाधनों के अनुसार करता है। इन जन सुविधाओं में सुधार और उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों तथा आम लोगों को शामिल करते हुए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक जागरूगता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किसी गैर सरकारी संगठन को उक्त प्रयोजनार्थ ऐसी कोई धनराशि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

(ड.): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित सभी प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का नियमित रूप से संरक्षण, परिरक्षण और अनुसरक्षण करता है। सुरक्षा के लिए नियमित एमटीएस कर्मचारियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से पहरा और निगरानी प्रदान की जाती है।

(च): पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (राशि करोड़ में)
2018-19	405.02
2019-20	435.39
2020-21	260.83
2021-22	269.57
2022-23	391.93

*****